बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 31.03.2017 तक उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने के संबंध मे।

बिहार सरकार विभिन्न विभागों, यथा–शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा ऋण योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना एवं सभी कोटि के छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना आदि विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, पारदर्शिता तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने हेतु लाभार्थियों की राशि को बैंक खाते में सीधा अंतरित करना आवश्यक है ।

2. पूर्व मे मंत्रिपरिषद् द्वारा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वैयक्तिक लाभकारी (Individual benefit) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 01 अप्रील 2016 के बाद विभिन्न योजनाओं के लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि सीधे उनके बैंक खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 14.01.2016 को सहमति दी जा चुकी है । साथ ही, यदि +2 (इंटर स्तर) तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के पास बैंक खाता नहीं है, तो उनके अभिभावक के बैंक खाते में राशि अंतरित की जा सकेगी, इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है ।
3. समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लाभान्वितों को उनके खाते में ही राशि का सीधा अंतरण प्रारम्भ कर दिया गया है।
4. अच्छे प्रशासन, कुशल, पारदर्शी और लक्षित व्यक्तियों को सब्सिडी का लाभ और सेवाओं के वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsisides, Benefits and Services) Act, 2016 बनाया गया। इस अधिनियम की धारा–7 निम्न प्रकार है:–

"The Central Government or, as the case may be, the State Government may, for the purpose of establishing identity of an individual as a condition for receipt of a subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred from, or the receipt there from forms part of, the Consolidated Fund of India, require that such

individual undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadha number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, such individual makes an application for enrolment:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, the individual shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the subsidy, benefit or service."

5. उपर्युक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम 12 Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 निम्न प्रकार है:–

"Any Central or State department or agency which requires an individual to undergo authentification or furnish proof of possession of Aadhaar number as a condition for receipt of any subsidy, benefit or service pursuant to Section 7 of the Act, shall ensure enrolment of its beneficiaries who are yet to be enrolled, through appropriate measures, including co-ordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself."

6. ग्रामीण विकास विभाग आधार पंजीकरण हेतु राज्य पंजीयक (State Registrar) है। बिहार में अबतक कुल 8.32 करोड़ जनसंख्या का आधार सृजन किया जा चुका है ।

आधार से संबंधित अन्य सभी सेवाओं यथा बायोमैट्रिक अपडेशन, ई–आधार की स्थिति एवं जानकारी आदि की सुविधा सभी नागरिकों को सतत् रुप से उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रखंडो, अनुमंडलों, नगर पंचायतों, नगर परिषदों तथा सभी जिला मुख्यालयों में 1000 स्थायी आधार पंजीकरण (PEC- Permanant Enrollment Center) केन्द्र की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए एजेंसियों का चयन कार्य पूर्ण कर लिया है और चयनित स्थलों पर पंजीकरण किट लगाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। मध्य फरवरी 2017 तक स्थायी आधार केन्द्र कार्यरत हो जायेगें। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कैम्प मोड में छूटे हुए लोगों के आधार का पंजीकरण तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभुकों की आधार सीडिंग भी इन्ही चयनित एजेंसियों के माध्यम से करायी जा सकेगी।

7. भारत सरकार के आधार अधिनियम 12 सितम्बर, 2016 की धारा–7 तथा इसी अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम –12 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी कल्याणकारी योजना से संबंधित भुगतान/सब्सिडी आधार लिंक DBT के माध्यम से हीं किया जाय।साथही,राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme(NSAP)) के तहत आने वाले सभी योजनाओं के बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते को लाभुकों के आधार नम्बर से जोड़कर ही किया जाय । भारत सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि DBT से होने वाले बचत को राज्य के साथ share किया जायेगा।

8. **बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभांवितों को Subsidy/Scholarship इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 31.03.2017 तक उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़कर भुगतान कराया जायेगा । इस हेतु संबंधित विभागों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक है:–**

(क) विभिन्न विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लाभुक 31–03–2017 तक विभाग के सक्षम पदाधिकारी को आधार नम्बर उपलब्ध कराये। इस प्रकार प्राप्त आधार नम्बर को लाभुक के बैंक खाते से जोड़ा जायेगा।

(ख) यदि लाभुक द्वारा अब तक आधार नम्बर प्राप्त नहीं किया है, तो निश्चित रूप से 31–03–2017 तक आधार नम्बर प्राप्त करने हेतु Enrolment कराया जाये। प्रत्येक विभाग लाभुकों का enrolment तथा आधार seeding हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय ।

(ग) सभी विभाग ऐसे लाभुक की, जो किसी कारणवश उपर्युक्त तिथि तक आधार नही प्राप्त कर पाये है, पहचान के लिए alternative दस्तावेज का भी अवधारण कर सकते है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांकः को0प्र0/विविध-03/2015(खं0-2) पटना,दिनांक .....

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांकः को0प्र0/विविध-03/2015(खं0-2) पटना,दिनांक .....

प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

ज्ञापांकः को0प्र0/विविध-03/2015(खं0-2) 1663 पटना,दिनांक 08.3.17

प्रतिलिपि– प्रभारी ई–गजट शाखा एवं सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3
(एच0 आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन)

19) ①

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पटना/दिनांकः– 15/03/2017

ज्ञापांक– 982

सं0सं0–2/उद्योग–विविध–23/2013

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

संचिका संख्या :- ह0रे0/स्था0-विविध- 05/2017

ज्ञापांक 465 / पटना दिनांक 11.04.17

प्रतिलिपि :- ह0रे0 निदेशालय के सभी पदाधिकारी/ सभी नियंत्री पदाधिकारी हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई० टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट के "गाईड लाईन" फोल्डर में डालने हेतु।

अपर निदेशक (तक0)
बिहार पटना/

⑦

E:\Documents\Documents\Letter.Docx